

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर
आदेश

क्रमांक 548 / लेखा / 2023

मण्डलेश्वर, दिनांक 21/12/2023

माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/2522 (दो-15-42/94) जबलपुर दिनांक 05 मई 2017 के संलग्न मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक- 771/2017/21-ब (एक) भोपाल दिनांक 25 फरवरी 2017 के द्वारा जारी The Madhya Pradesh District Court Establishment (Recruitment & Conditions Of Service) Rules 2016 में दिये गये प्रावधानों एवं निर्देशों के अन्तर्गत, स्थापना पर गठित तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन दिनांक 18.10.2023 एवं दिनांक 20.12.2023 के द्वारा की गई अनुशंसा तथा सेवा एवं भर्ती नियम 2016 के नियम 25 (1) के तहत निम्नांकित कर्मचारीगण की पदोन्नति, दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निम्नलिखित तालिका अनुसार की जाती है :-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पद का नाम	पदोन्नत पद का नाम
वाहन चालक, पुनरीक्षित वेतनमान 2017 लेवल-4 (19,500-62,000)			
01	श्री अनिल प्रजापत	आदेशिका वाहक	वाहन चालक
"आदेशिका वाहक" पुनरीक्षित वेतनमान 2017 लेवल-3 (वेतनमान 18000-56900)			
02	श्री विजयसिंह चौहान	जमादार	आदेशिका वाहक
"जमादार" पुनरीक्षित वेतनमान 2017 लेवल-2 (वेतनमान 16100-50900)			
03	श्री गजेन्द्र चौहान	भृत्य	जमादार

नोट :- (1) माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत Special Leave Petition {Civil} No.30621/11 में शासन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण दिये जाने के संबंध में भविष्य में यदि कोई आदेश जारी किया जाता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(2) उपरोक्त तालिका अनुसार पदोन्नत ~~तृतीय~~/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण वेतन निर्धारण हेतु नियमानुसार विकल्प एक माह की अवधि में प्रस्तुत करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर

पृ.क्रमांक 3229/लेखा/2023

मण्डलेश्वर, दिनांक 21/12/2023

प्रतिलिपि :-

- 01 विशेष न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा. (अत्या.निवा.) अधिनियम, मण्डलेश्वर
02. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, मण्डलेश्वर/महेश्वर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. श्री अनिल प्रजापत, वाहन चालक, विशेष न्यायालय मण्डलेश्वर
- 04 श्री विजयसिंह चौहान, जमादार, नजारत अनुभाग, मण्डलेश्वर
05. श्री गजेन्द्र चौहान, भृत्य, नजारत अनुभाग, मण्डलेश्वर

.....की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कर यह भी निर्देशित किया जाता है कि, एक माह के अंदर नियमानुसार विकल्प प्रस्तुत करें।

06. सेवा अभिलेख प्रति
07. लेखापाल/वेतन लिपिक, लेखा अनुभाग, मण्डलेश्वर

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पश्चिम निमाड़, मण्डलेश्वर